न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1580

1. भागोती देवी पत्नी गिरधारीलाल,
2. दिलीप पुत्र गिरधारीलाल,
3. महेश पुत्र गिरधारीलाल,
4. विकाश पुत्र गिरधारीलाल,

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम ढाणी खरवासा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं।
2. हरलाल पुत्र नाथाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम ढाणी खरवासा, तहसील गुढागौडजी, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने मुकदमा संख्या 308/2025 निर्णय दिनांक 18.07.2025 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री सुमन कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री भगवान सहाय शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :–09.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 18.07.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 04.08.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा दिनांक 23.05.2025 को पटवार मण्डल खेदड़ा की ढाणी के राजस्व ग्राम ढाणी खरबासा के हाल भूमि खसरा नम्बर 324 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है तथा आवागमन सुचारू रूप से हो पा रहा है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 23.05.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 18.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 18.07.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 विधि के प्रावधानों के खिलाफ व मौके पर कोई भी स्थाई सार्वजनिक रास्ता हुये बिना ही पारित आदेश विधि विंरूद्ध व मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो अपीलार्थीगण की सहमति ली और ना ही उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं तथा यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अवलोकन ही नही किया यदि अवलोकन करते तो अपीलार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी करते व अपीलार्थीगण की सहमति हेतु शपथ पत्र लेते जिस कारण अपीलाधीन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त प्रकरण में ना तो अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही कोई नोटिस निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को भिजवाये गये है यह विधि का सर्व माननीय सिद्धांत व प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है की किसी भी व्यक्ति की भूमि के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक हैं मगर इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को ना तो कोई नोटिस जारी किये गये ना ही सुनवाई का अवसर दिया अगर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो अपीलार्थीगण अपनी बात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रखते तथा इस प्रकार एकपक्षीय आदेश मनमाना व विधि विरूद्ध हैं जबकि वास्तव में मौके पर खसरा नम्बर 324 मे कोई रास्ता पूर्व से नही है बल्कि अपीलार्थीगण खातेदारान की खातेदारी की भूमि है जिसमें अपीलार्थीगण द्वारा जिस स्थान पर तहसीलदार महोदय द्वारा अपनी रिपोर्ट में रास्ता बताया गया हैं उस स्थान पर अपीलार्थीगण के अपने निवास/ मकान पर जाने के लिये इसी वर्षा काल में ट्रेक्टर ले जाने की जगह छोडी हैं तथा उक्त भूमि के तार बाउन्ड्री हो रखी है तथा अपीलार्थीगण उक्त भूमि पर सहखातेदारों के साथ मौके पर काबिजकाश्त हो काश्त कर उपयोग–उपभोग कर फायदा उठा रहे है यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय से जो आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्राप्त किया है कुछ राजनैतिक फायदे के लिये प्राप्त किया है जबकि मौके पर कोई रास्ता पूर्व में नही था ना ही आज मौके पर मौजूद हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक तथा अर्द्धन्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाता हैं। किन्तु मौजूद प्रकरण में अपीलार्थीगण खसरा नम्बर 324 रकबा 1.20 हैक्टेयर सम्पूर्ण का खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम से जमाबंदी में अंकित है तथा उक्त भूमि पर कब्जा काश्त होकर अपीलार्थीगण उसको उपयोग व उपभोग अपने पूर्वजों के जमाने से करते आ रहे है तथा विवादग्रस्त आराजी खसरा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बर 324 रकबा 1.20 हैक्टेयर पर अपीलार्थीगण द्वारा पुख्ता मकानात बनाकर अपने परिवार सहित निवास कर पालन पोषण कर रहे हैं तथा पशुओं के लिये बाडा बना रखा है तथा शेष भूमि पर अपीलार्थीगण की फसल खडी हैं तथा जिस जगह अपीलाधीन आदेश की आड़ में जो रास्ता नक्शे में तरमीम किया गया है उस जगह कभी भी कोई रास्ता नही रहा हैं किन्तु उस जगह पर अपीलार्थीगण की फसल खडी है उसके बावजुद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भयंकर कानूनी भूल की है जिस कारण अपीलाधीन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि पटवारी महोदय द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वह बिना किसी विधिक आधार पर तैयार कि गई थी वह राजनैतिक पहुंच वाले व ग्राम के कुछ रसूखदार व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की जरूरत से उनके प्रभाव में आकर आनन फानन में जो रिपोर्ट बनाई गई जिस पर ना तो किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर है ना ही अपीलार्थीगण को रिपोर्ट तैयार करने से पहले सूचना दी गई अगर अपीलार्थीगण को जानकारी होती की पटवारी द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है तो वह उपस्थित होकर वास्तविक स्थिति से अवगत कराते मगर पटवारी दिगरान से मिलकर मौके के खिलाफ जाकर रिपोर्ट तैयार की है जो किसी भी दृष्टि से स्वतंत्र रिपोर्ट की तारीफ में नहीं आती है इसलिये तहसीलदार की रिपोर्ट विधि तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है जो तहसील कार्यालय में पूर्व नियोजित योजना के अनुसार तैयार कि गई है तथा यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि रिपोर्ट में जो रास्ता दर्शाया गया है उसी जगह पर कभी भी कोई रास्ता चालू स्थिति में नही रहा है उसके बावजूद भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को सही मानकर जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किया गया है वह माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलार्थी संख्या 1 एक बुजुर्ग विधवा महिला हैं तथा अपीलार्थी संख्या 2 लगायत 4 राजकीय सेवा में (आर्मी) में कार्यरत हैं जो अपनी नौकरी का अधिकांश समय बॉडर पर देश की सुरक्षा के लिये तैनात रहता है तथा अपीलार्थी संख्या 1 मौके पर अपनी कृषि भूमि पर रहती हैं तथा अपीलार्थीगण की कृषि भूमि को नुकसान पहुँचाने व खातेदारी को समाप्त करने व धारा 251ए के प्रोविजन से बचने के लिये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवाया हैं जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं।

पटवारी रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 पर ना तो कोई गवाह के हस्ताक्षर होना बताया है उक्त रिपोर्ट पटवारी ने कूटरचित कर फर्जी तैयार की तथा उक्त रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार के हस्ताक्षर दिनांक 20.05.2025 को कराये गये उपरोक्त तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि मौके पर पटवारी रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 निष्पक्ष नही कही जा सकती है बल्कि उक्त रिपोर्ट फर्जी तैयार की रास्ता निकलवाने के आदेश दिनांक 18.07.2025 को पारित किये है जो विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय में अपने आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 को अंकन करते हुये उसके अनुसार निर्णय पारित किया गया हैं जब कि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में यह कही भी अंकन नहीं है कि उक्त परिपत्र के आधार पर प्रभावित खातेदार को बिना सुने व उसकी सहमति के बिना तथा मौके की वास्तविकता रिपोर्ट के खिलाफ जाकर अगर मौके पर कोई रास्ता नही है तो नया रास्ता कायम किया जाये फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र के प्रावधानों के खिलाफ जाकर बिना हितबद्ध पक्षकारों को सुने तथा मौंके की वास्तविक रिपोर्ट बिना के आदेश दिनांक 18.07.2025 को पारित किया है उक्त परिपत्र के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया कि खसरा नम्बर 324 रकबा 1.20 हैक्टेयर में जहाँ वर्तमान मे रास्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दर्शाया गया है वहा कभी भी कोई स्थाई व सार्वजनिक रास्ता चालू नही रहा है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को पूर्वतयाः नजर अंदाज करते हुये खसरा नम्बर 324 रकबा 1.20 हैक्टेयर में से रास्ता निकालने के जो आदेश पारित किये है जो पूर्णतयाः औचित्यहीन है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तथा हितबद्ध पक्षकारों के विधिक व साम्पत्तिक अधिकारों के खिलाफ है जिसका केवल मात्र उद्देश्य अपीलार्थीगण की कृषि भूमि में से राजनैतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थीगण की खातेदारी अधिकारों को समाप्त करना रहा है जिस कारण अपीलाधीन आदेश माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नही थी जिससे लैस मात्र से भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व में कोई चालू रास्ता रहा हो या वर्तमान में कोई रास्ता खसरा नम्बर 324 रकबा 1.20 हैक्टेयर से होता हुआ सार्वजनिक आवागमन के रूप में काम में आ रहा हो इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थीगण की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये है जो विधि विरूद्ध होने से माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अवलोकन ही नही किया जिसमें दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई नया रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम कटवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर सम्बन्धित उपखंड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भंयकर कानूनी भूल की है जो माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य हैं।

अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में दिनांक 10.08.2016 के बाद राज्य सरकार द्वारा विधान सभा में संशोधित अधिनियम पारित कर नई धारा 251 (क) जोडी गई जिसके बाद रास्ते के सम्बन्ध में नया कानून लाने के बाद अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 के आधार पर जो आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किया है कानून के खिलाफ तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के खिलाफ होने के कारण अपीलार्थीगण के अधिकारों के प्रति अवैध प्रभावहीन व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि उक्त अधिनियम दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जायेगी तो उसकी प्रति सम्बन्धित खातेदारों को दी जायेगी तथा हितबद्ध काश्तकार को सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता हैं लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार गुढागौडजी, उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा उपरोक्त विधि प्रावधानों को नजर अंदाज कर अपीलार्थीगण को बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भयंकर कानूनी भूल की है जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाने योग्य हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 18.07.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स सीधे रूप

से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट्स को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी. पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा दिनांक 23.05.2025 को पटवार मण्डल खेदड़ा की ढाणी के राजस्व ग्राम ढाणी खरबासा के हाल भूमि खसरा नम्बर 324 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है तथा आवागमन सुचारू रूप से हो पा रहा है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार गुढागौड़जी, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 23.05.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 पारित किये गये है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.07.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा

मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.07.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.07.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर